भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3987
उत्तर देने की तारीख 19.12.2024

खादी उत्पादन इकाइयों का डिजिटलीकरण

3987. डॉ. भोला सिंहः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खादी कामगारों के लिए वेतन का नया स्तर क्या है और सरकार द्वारा उनकी मजदूरी को किस प्रकार बनाए रखना सुनिश्चित करने की योजना है;

(ख) 'वोकल फॉर लोकल' अभियान के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री को बढ़ाना देने के लिए क्या पहल की गई है;

(ग) खादी उत्पादन इकाइयों का डिजिटलीकरण करने और प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) खादी सहकारी समितियों और कारीगरों को कौशल विकास और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने खादी कारीगरों को सहायता प्रदान करने के लिए, उनकी आय और समग्र आजीविका में सुधार लाने के लिए समय-समय पर उनकी मजदूरी में वृद्धि की है। दिनांक 01.04.2023 से कताई मजदूरी 7.50 रुपये प्रति लच्छा से बढ़ाकर 10.00 रुपये प्रति लच्छा कर दी गई और बुनाई मजदूरी में 10% की वृद्धि की गई, जिससे खादी कारीगरों की न केवल उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई, बल्कि उनकी आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

इसके अलावा, केवीआईसी ने कताई मजदूरी को 10.00 रुपये प्रति लच्छा से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लच्छा कर दिया है और बुनाई मजदूरी में 7% की वृद्धि की है, जो दिनांक 02.10.2024 से प्रभावी है।

इसके अलावा, एमएमडीए के अंतर्गत, सूती, ऊनी, पॉलीवस्त्र के खादी संस्थानों के मामले में एमएमडीए का 35%, कारीगरों को प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाता है और रेशम के खादी संस्थानों के मामले में, एमएमडीए का 30%, कारीगरों को प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाता है।

(ख): केवीआईसी द्वारा, खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहलें की जा रही हैं:

i. हब और स्पोक मॉडल पर खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) नई दिल्ली को निफ्ट अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और शिलांग के साथ-साथ हब के रूप में स्थापित किया गया है, ताकि वैश्विक मानकों के लिए बेंचमार्क डिजाइन प्रक्रियाओं की स्थापना, नए वस्त्र और उत्पाद बनाने, वस्त्रों के लिए गुणवत्ता मानकों का प्रचार-प्रसार, नई खादी के बारे में दिलचस्प आख्यान बनाकर ब्रांडिंग और प्रचार, नए खादी उत्पादों के लिए रचनात्मक विजुअल विपणन और पैकेजिंग तथा राष्ट्रीय खादी फैशन शो और प्रदर्शनियों के आयोजन के माध्यम से खादी की पहुंच को बढ़ाया जा सके।

ii. घरेलू स्तर पर केवीआई उत्पादों को सुलभ बनाने के लिए विभिन्न स्तर की प्रदर्शनियों का आयोजन करना तथा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में सहभागिता करना।

iii. क्रेता से उपभोक्ता को उत्पाद की बिक्री करने के उद्देश्य से जेम पोर्टल (gem.gov.in) और ई-मार्केटिंग पोर्टल (www.ekhadiindia.com) के द्वारा एमएसएमई के लिए ई-मार्केट लिंकेज के माध्यम से उत्पाद आपूर्ति/विपणन तंत्र की व्यवस्था की गई।

iv. खादी के पारखी और डिजाइनरों दोनों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न शहरी केंद्रों और टियर-2 शहरों में खादी लाउंज की स्थापना की गई।

v. खादी उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकारी विभागों और विभिन्न सरकारी संगठनों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के थोक खरीदारों की आवश्यकताओं को पूरा करना।

vi. ग्राहकों को आकर्षित करने और केवीआई उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अवसरों/त्योहारों पर विशेष छूट की घोषणा की गई है।

vii. वैश्विक स्तर पर ब्रांड 'खादी' की पहचान को बनाए रखने के लिए, केवीआईसी ने 15 देशों में ट्रेडमार्क 'खादी' के लिए पंजीकरण और 32 देशों में खादी लोगो के लिए पंजीकरण प्राप्त किया है।

viii. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से केवीआई स्कीमों और कार्यक्रमों का प्रचार।

(ग): खादी उत्पादन इकाइयों को डिजिटल बनाने और परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए केवीआईसी द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. **खादी संस्थान ई-पोर्टल:** केवीआईसी की संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) और ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईएसईसी) स्कीम के कार्यान्वयन के उद्देश्य से केआई ई-पोर्टल को केवीआईसी में विकसित और कार्यान्वित किया गया था। इस ई-पोर्टल के माध्यम से, केवीआईसी/केवीआईबी पंजीकृत खादी उत्पादक संस्थान अपने एमएमडीए और आईएसईसी दावे केवीआईसी के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रस्तुत करते हैं।

ii. **खादी संस्थान प्रबंधन सूचना प्रणाली (केआईएमआईएस)**: केआईएमआईएस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, वास्तविक समय के आधार पर कच्चे माल की खरीद से लेकर तैयार माल की बिक्री तक खादी संस्थानों की संपूर्ण गतिविधियों को कम्प्यूटरीकृत करने की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रणाली खादी संस्थानों, विभागीय बिक्री केन्द्रों और केन्द्रीय स्लिवर संयंत्रों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। यह प्रणाली संबंधित खादी संस्थानों, विभागीय इकाइयों और सीएसपी द्वारा प्रभावी निगरानी के लिए विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट तैयार करती है।

iii. **खादी संस्थानों के लिए ऑनलाइन बजट प्रणाली:** मैनुअल बजट की समस्या के समाधान हेतु, केवीआईसी ने खादी संस्थानों के लिए ऑनलाइन बजट प्रणाली विकसित की है।

iv. **खादी संस्थान पंजीकरण एवं प्रमाणन सेवा (केआईआरसीएस)**: खादी संस्थान पंजीकरण एवं प्रमाणन सेवा (केआईआरसीएस), नए खादी संस्थानों के पंजीकरण तथा पुराने खादी संस्थानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है।

(घ): **कौशल विकास:** खादी और ग्रामोद्योग आयोग, देश भर में स्थित अपने विभागीय और गैर-विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, जिसमें खादी प्रौद्योगिकी, रेशम रीलिंग और कताई, रंगाई और छपाई, खादी डिजाइन विकास, कताई और बुनाई में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, खादी कताई, खादी बुनाई, कपड़ा चित्रकारी, सिलाई और कढ़ाई आदि शामिल हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्थानीय कारीगरों को स्थानीय उत्पादों के उत्पादन और विपणन के लिए पारंपरिक कौशल प्रदान करते हैं और स्थानीय कारीगरों के साथ-साथ खादी संस्थानों से जुड़े कारीगरों की आजीविका को बढ़ाते हैं।

वित्तीय सहायता: केवीआईसी, निम्नलिखित स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत पंजीकृत खादी संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है:

i. **ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र (आईएसईसी) स्कीम** के अंतर्गत, खादी संस्थानों की आवश्यकता के अनुसार पूंजीगत व्यय (सीई) के साथ-साथ कार्यशील पूंजी (डब्ल्यूसी) के लिए 4% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा वास्तविक उधार दर और 4% के बीच के अंतर का भुगतान, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से उधार देने वाले बैंकों को किया जाता है।

ii. **संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) स्कीम** के अंतर्गत, उत्पादन की प्रमुख लागत के आधार पर एमएमडीए की एक मात्रा प्रदान की जाती है। कपास, मलमल, ऊनी और पॉलीवस्त्र खादी के लिए सहायता की गणना 35% और रेशमी खादी के लिए 20% की जाती है। इस राशि में से, एमएमडीए का 35% कपास, मलमल, ऊनी और पॉलीवस्त्र के साथ काम करने वाले कारीगरों को प्रोत्साहन के रूप में आवंटित किया जाता है, जबकि एमएमडीए का 30% रेशम के साथ काम करने वाले कारीगरों को प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाता है।

iii. खादी कारीगरों को सुविधाजनक कार्यस्थल उपलब्ध कराने तथा दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए, **खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम,** वर्कशेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम के अंतर्गत, व्यक्तिगत कारीगर 1,20,000 रुपये या वर्कशेड की कुल लागत का 75% तक की सहायता के लिए पात्र हैं, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के कारीगरों के लिए सहायता राशि बढ़ाकर 90% कर दी गई है। न्यूनतम 5 और अधिकतम 15 कारीगरों को लाभान्वित करने वाले समूह वर्कशेड के लिए, प्रति कारीगर 80,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता या समूह वर्कशेड की कुल लागत का 75% (एनईआर के लिए 90%), जो भी कम हो, प्रदान किया जाता है। इस पहल का उद्देश्य खादी कारीगरों के लिए अनुकूल और स्थायी कार्य वातावरण बनाना तथा उनकी उत्पादकता और आजीविका को बढ़ाना है।

iv. **मौजूदा कमज़ोर खादी संस्थानों के आधारभूत अवसंरचना को मज़बूत करने के अंतर्गत:** रूग्ण/कमजोर/समस्याग्रस्त/'डी' श्रेणी के संस्थानों को पुनर्जीवित करने के लिए केवीआईसी द्वारा उक्त स्कीम के अंतर्गत 15.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

v. **बिक्री केन्द्रों का नवीनीकरण:** खादी कारीगरों को स्थायी आय प्रदान करने के लिए विक्रय केन्द्रों का नवीनीकरण करने हेतु केवीआईसी विपणन अवसंरचना हेतु सहायता के अंतर्गत निधि उपलब्ध करा रहा है।

*****